#### प्रपत्र - 23

# ( नियम 85 देखिये )

### निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन

झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 85 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा यह अधिसूचित करता / करती हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में नामित व्यक्ति, स्तम्भ (2) में अंकित पद पर, स्तम्भ (5) में वर्णित ग्राम पंचायत / <del>पंचायत समिति</del> / <del>जिला परिषद</del> के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है : —

जिला : रामगढ़।

# अनुसूची

	पद का विवरण			ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला
व्यक्ति का नाम	पद	आरक्षित / अनारक्षित	महिला / अन्य	परिषद् जिससे पद सम्बन्धित है (निर्वाचन क्षेत्र संख्या / नाम सहित)
1	2	3	4	5
कलावती देवी	मुखिया	अनुसूचित जन जाति	अन्य	XVI रामगढ़ / 03 / 01 / दोहाकातु
शीला देवी	मुखिया	अनारक्षित	महिला	XVI रामगढ/०३/०२/कुन्दरूकला
बनवारी मुण्डा	मुखिया	अनारक्षित	अन्य	XVI रामगढ़ / 03 / 03 / बारलौंग

स्थान : समाहरणालय, रामगढ़।

तारीख : 21/12/2015

ह0 / — (अस्पष्ट) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) —सह—उपायुक्त, रामगढ़।

### टिप्पणी : -

- 1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन—जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब ''अनारक्षित'' का उल्लेख किया जाये।
- 2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरिक्षत है तब स्तम्भ 4 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरिक्षत नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाये।